न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर. ए. एस.)

दावा संख्या : 07/13 निर्णय दिनांक :—14.08.2019

1. चुन्नीलाल पुत्र रामदेवा जाति चाहर जाट
2. सुमेर पुत्र रामदेवा जाति चाहर जाट
3. सुरेन्द्र पुत्र रामदेवा जाति चाहर जाट
4. भंवरी बेवाह रामदेवा जाति चाहर जाट निवासीगण ग्राम तिहावली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....वादीगण

बनाम

1. जोरा पुत्र नाथा जाति चाहर जाट निवासी ग्राम तिहावली।
2. रणजीत पुत्र नाथा जाति चाहर जाट निवासी ग्राम तिहावली।
3. नानगराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम तिहाय समस्त तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
4. तहसीदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
5. तहसीलदार तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
6. जिला कलेक्टर महोदय सीकर राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व संशोधन खाता

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री भीमसिंह(वादी की ओर से)

अधिवक्ता श्री मुकेश भातरा(प्रति. संख्या 1)

—:निर्णयः—

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 6.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 2.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 3.69 हैक्टेयर ग्राम तिहावली तहसील रामगढ़ शेखावाटी में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य है।

भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 6.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 2.62 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3 रकबा 3.69 हैक्टेयर वाके ग्राम तिहावली वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक वंशानुगत कृषि भूमियां है जिनमें वादीगण का 1/3 हिस्सा भूमि भाग प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा भूमि भाग, व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 भूमि भाग उत्तराधिकार में प्राप्त होकर रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 जोराराम ने उक्त भूमियो के अपने 1/3 हिस्सा भूमि भाग में से भूमि खसरा नम्बर 12 के अपने 1/3 हिस्सा भूमि में से 5 बीघा खाम भूमि अर्थात 0.562 हैक्टेयर भूमि भाग उक्त भूमि के काबिज सह खातेदार काश्तकार वादीगण के पूर्वज रामदेवा को सन् 1974 में विक्रय कर उक्त 5 बीघा खाम भूमि पर भौतिक कब्जा साधिकार निरन्तर निर्बाध रूप से चला

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

आता रहकर वर्तमान में भी है। प्रतिवादी संख्या 01 ने भूमि खसरा नम्बर 3 में से अपने नाम बनी खातेदारी के 1/3 हिस्सा भूमि भाग का विक्रय प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया है।

वादीगण का जोराराम से क्रय किये गये 5 बीघा खाम भूमि पर उक्त भूमि सन 1974 में क्रय करने के दिन से ही पहले उनके पूर्वज रामदेवा व बाद में वादीगण को भौतिक कब्जा काश्त साधिकार निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है।

यद्यपि उक्त भूमियों का माप व सीमांकन से रिकॉर्ड में विभाजन नही हुआ है किन्तु बाहमी विभाजन होकर मौके पर पक्षकारान उक्त भूमियों को अलग अलग अपने हिस्सा भूमि अनुसार काश्त करते है। बाहमी विभाजन वादीगण भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 2.62 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 3 रकबा 3.69 हैक्टेयर मे से मध्य का 1.23 हैक्टेयर भूमि भाग जिसमें रामदेवा का स्वयं का ऋण लेकर अकेले का कुआ निर्मित किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 16 से सटता हुआ 0.835 हैक्टेयर भूमि भाग अलग से काश्त करते है तथा उनका अलग से भौतिक कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 01 जोराराम खसरा नम्बर 12 में सें मध्य का 2.331 हैक्टेयर भूमि भाग अलग से काश्त करता है तथा प्रतिवादी संख्या 02 रणजीत खसरा नम्बर 12 में से उत्तरी ओर का 1.23 हैक्टेयर भूमि भाग अलग से कश्त करता है प्रतिवादी संख्या 3 खसरा नम्बर 3 का उत्तरी ओर का 1. 23 हैक्टेयर भूमि भाग अलग से काश्त करता है और वे इसी कदर अपने भौतिक कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाकर जुदागाना कब्जा खाता व लगान निर्धारित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 जाट जाति के चाहर गौत्र के व्यक्ति है जो ग्राम तिहावली के स्थाई निवासी जन्म से है जिनके समस्त कागजात फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड ,शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि जाट जाति के बने हुये है तथा भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 3.69 हैक्टेयर की खातेदरी में भी वादीगण की जाति जाट अंकित है फिर भी भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 6.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 2.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम तिहावली के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से चाहर जाट के स्थान पर चमार लिख दिया गया है जो चमार के स्थान पर जाट संशोधित किया जाना सर्वथा उचित आवश्यक व न्यायोचित है।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। न्यायालय से सहवन से तनकीयात कायम की गई। चूंकि दावे में जबाब दावा प्रस्तुत नही है इसलिए तनकीवार निर्णय देना आवश्यक नही है।

वादी अधिवक्ता ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात यथा जमाबंदी सम्वत् 2057–60, जमाबंदी सम्वत् 2057–60, नक्सा ट्रेस, मूल निवास प्रमाण पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2057–60 ग्राम तिहावली के खाता संख्या 89 के अनुसार खातेदारान की जाति जाट दर्ज है, इसी प्रकार ग्राम तिहावली की जमाबंदी सम्वत 2057–60 के खाता संख्या 72 के खातेदारान की जाति चमार दर्ज है। खाता संख्या 72 की आराजी अनुसूचित जाति के चमार समुदाय से संबंधित होने के कारण सवर्ण जाति व्यक्ति को हस्तानान्तरण नही की जा सकती है। वादीगण द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि दोनो खातो के खातेदार एक ही परिवार के सदस्य है। साक्ष्यो के अभाव मे वादीगण का क्लेम क्लेम पुष्ट नही होता है। इसलिए वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

–:आदेशः–

अतः आदेश है कि वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner